

प्रेषक,

निदेशक
विद्यालयी शिक्षा संस्थान बुर्ज
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में

अपर शिक्षा निदेशक
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

पत्रांक / आंगल-भाषा / 18621-23 / एन.ओ.सी. / 2010-11 दिनांक ११ जुलाई, 2010

विषय :-

हिन्द पब्लिक स्कूल सितारगंज रोड, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ट्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
महोदय,

शासन के पत्र संख्या-401/XXIV-3/10/01(07)/2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-३ दिनांक 20 मई, 2010 द्वारा हिन्द पब्लिक रक्ज सितारगंज रोड, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ट्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया गया है:-

(क) उत्तराखण्ड में रिथत शिक्षण संस्थानों को कौञ्जसिल फार दि इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एजामिनेशन / सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ट्री एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का रामय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निवेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैंकिंग शिक्षा परिषद द्वारा संवालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की गोग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ट्री एज्यूकेशन नई दिल्ली/कौञ्जसिल फार इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतं समाप्त हो जायेगा।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रदत्त पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तों में विना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाता है।

3- उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये सम्बन्धित संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता प्राप्त होते ही सम्बद्धता की एक प्रति निवेशालय को भी उपलब्ध करायें।

मुझे यह
11/08/2010

(डॉ. जी.सी. बडोनी)

स्टॉफ ऑफिसर

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड MANDU

SECRETARY

Hind Public School Society

Khatima (J. S. Nagar)

प.सं./आंगल-भाषा/ 18621-23 / एन.ओ.सी. / 2010-11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रिला शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

2. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, हिन्द पब्लिक स्कूल सितारगंज रोड, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)।

PRINCIPAL PRINCIPAL

SECRETARY

Hind Public School Hind Public School Society

Khatima (U. S. Nagar)

Khatima (J. S. Nagar)

मुझे यह
11/08/2010

(डॉ. जी.सी. बडोनी)

स्टॉफ ऑफिसर

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड